भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2335
13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं

†2335. श्री अतुल गर्गः
श्रीमती शांभवीः
डॉ. लता वानखेड़ेः
डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः
श्री राजेश वर्माः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वीकृत पदों की तुलना में वर्तमान में कार्यरत चिकित्सकों, नर्सों और परा-चिकित्सक स्टाफ की राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कुल संख्या कितनी है;
(ख) स्वास्थ्य मानव संसाधनों की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए उक्त राज्यों को प्रदान की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त राज्यों में कार्यरत और कार्यशील नर्सिंग कॉलेजों और परा-चिकित्सक प्रशिक्षण संस्थानों की वर्तमान स्थिति क्या है;
(घ) सरकार द्वारा उक्त राज्यों के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा करने के लिए चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और
(ङ) क्या सरकार के पास उक्त राज्यों के महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर में चिकित्सा सीटों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सहित देश भर में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में स्वीकृत पदों पर कार्यरत चिकित्सकों, नर्सों और परा-चिकित्सक स्टाफ का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर उपलब्ध हैं:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

(ख): स्वास्थ्य मानव संसाधनों की भर्ती और प्रशिक्षण सहित, जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी)

के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही अभिलेखों (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य परिचर्या को सुदृढ़ करने हेतु दी गई स्वीकृतियों का विवरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर उपलब्ध है:

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों को जारी की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई केंद्रीय निधियां।

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**राज्यों के नाम**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1	उत्तर प्रदेश	5,133.59	4,928.14	5,853.43
2	बिहार	1,586.57	2,032.95	2,367.18
3	मध्य प्रदेश	2,582.10	2,545.68	2,430.91

नोट:
1. व्यय में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई राशि, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई राशि और वर्ष के प्रारंभ में शेष बची राशि का व्यय शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रारंभिक वित्तीय रिपोर्ट (एफएमआर) के अनुसार है और यह अनंतिम है।
2. उपरोक्त जारी की गई राशि केंद्र सरकार के अनुदान से संबंधित है और इसमें राज्य सरकार के हिस्से का अंशदान शामिल नहीं है।

(ग): 31 अक्टूबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में कार्यशील और कार्यरत नर्सिंग कॉलेजों का विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	**संस्थानों की कुल संख्या**		
	सरकारी	**निजी**	**कुल**
उत्तर प्रदेश	33	365	398
बिहार	56	76	132
मध्य प्रदेश	39	297	336

(घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सहित देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टरों को सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान किए जाते हैं:

- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा करने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता और उनके आवासीय क्वार्टरों के लिए भत्ता प्रदान किया जाता है, ताकि उन्हें ऐसे क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में कार्य करना आकर्षक लगे।
- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सीज़ेरियन सेक्शन करने के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु स्त्रीरोग विशेषज्ञों/ आपातकालीन प्रसूति परिचर्या (ईएमओसी) प्रशिक्षित, बालरोग विशेषज्ञों और एनेस्थेटिस्ट/ जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएएस) प्रशिक्षित चिकित्सकों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।
- चिकित्सकों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर गर्भावस्था-पूर्व जाँच (एएनसी) और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए सहायक नर्स और मिडवाइफ (एएनएम) के लिए प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कार्यकलाप के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।
- राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए बातचीत के माध्यम से तय वेतन देने की भी अनुमति है, जिसमें "यू कोट, वी पे" जैसी कार्यनीतियों में लचीलापन शामिल है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्रों में सेवा दे रहे कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश वरीयता और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी शुरू किए गए हैं।
- विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत डॉक्टरों के बहु-कौशल को बढ़ावा दिया जाता है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए एनआरएचएम के तहत मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एक अन्य प्रमुख कार्यनीति है।

(ङ): स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ाने हेतु सरकारी मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत, उत्तर प्रदेश में 556 स्नातकोत्तर सीटों, मध्य प्रदेश में 849 स्नातकोत्तर सीटों और बिहार में 314 स्नातकोत्तर सीटों सहित 8058 सीटों को दो चरणों में स्वीकृत किया गया है।

******